157

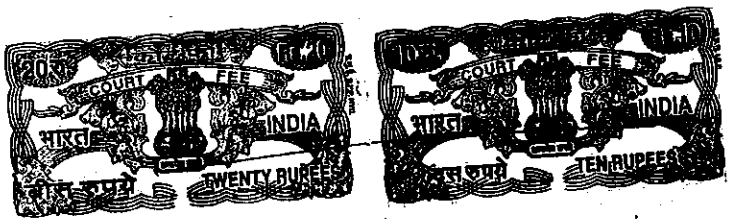

निग -1971 - II-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–अशोकनगर

कुं. अजयप्रताप सिंह पुत्र राव देशराज सिंह यादव, निवासी– तायडे कालौनी अशोकनगर जिला – अशोक नगर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 21.6.16 को प्रस्तुत
21-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय नायब तहसीलदार परगना मुंगावली जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि ग्राम अथाई खेडा स्थित भूमि सर्वे नं. 696/1 एवं 696/2 का नक्शा जीर्ण क्षीर्ण है, ऐसी स्थिति में नया नक्शा में यथावत् दुरुस्ती की जाये।

2– यहकि, उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को भेजा गया तथा तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/बी–121/2014–15 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी तथा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक/पटवारी से ग्राम अथाई खेडा में स्थित भूमि सर्वे नं. 696/1 व 696/2 के चालू नक्शा में बंटाकन तर्मीम करने हेतु प्रस्ताव दिये गये।

3– यहकि, राजस्व निरीक्षक/ग्राम पटवारी द्वारा मय पंचनामा प्रस्तावित अक्श नक्शा पुराना नक्शा जीर्ण क्षीर्ण की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी तथा अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित किया गया।

4– यहकि, उक्त प्रकरण में आपत्तिकर्ता राधा किशन पुत्र बाबूलाल शर्मा द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा एक अन्य आपत्ति सतीश जैन, प्रमोद कुमार जैन एवं अंशुल जैन द्वारा प्रस्तुत की गयी। अंत में न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1971/दो/2016 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–11–16	यह निगरानी आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार मूंगावली, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 27/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मूंगावली के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम अस्थाईखेड़ा स्थित भूमि सर्वे नं. 696/1 एवं 696/2 का नक्शा जीण–क्षीर्ण है। ऐसी स्थिति में नया नक्शा में दुरूस्ती यथावत की जाये। अनुविभागीय अधिकारी मूंगावली द्वारा प्रकरण कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय भेजा गया। वहॉ प्रकरण क्रमांक 27/बी–121/2014–15 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी तथा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक, पटवारी से ग्राम अस्थाईखेड़ा में स्थिति सर्वे नं. 696/1 व 696/2 के चालू नक्शा में बंटाकन तरमीम करने हेतु प्रस्ताव दिये गये। जिस पर आपत्तिकर्त्ता राधाकिशन पुत्र श्री बाबूलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, एक अन्य आपत्ति सतीश जैन, प्रमोद कुमार जैन एवं अंशूल जैन द्वारा प्रस्तुत की गयी। अंत में न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत विचार किये बिना आदेश दिया गया कि भूमि सर्वे नं. 696/1 रकवा 1.000 है0 शासकीय में से अतिक्रमण का प्रकरण राजस्व मण्डल, ग्वालियर में प्रचलित है तथा सर्वे नं. 696/2 आवेदक अजय प्रताप	

सिंह के नाम भूमिस्वामी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि सर्वे नं. 696/1 एवं 696/2 का नक्शा जीण–क्षीर्ण है। ऐसी स्थिति में नया नक्शा यथावत दुरूस्त किया जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से की गयी प्रार्थना पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है, जो नितान्त, अवेध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया है कि राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पटवारी द्वारा विधिवत जॉच कर अपना प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र के आधार पर नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही की जाना चाहिए थी। आपत्तिकर्त्ताओं को प्रकरण में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उपरोक्त भूमि से उनका कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है एवं निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया है, वह विधिवत एवं उचित है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा

प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा भूमि सर्वे नं. 696/1 एवं 696/2 का नक्शा जीण–क्षीण होने से नया नक्शा में दुरूस्ती यथावत किये जाने का निवेदन किया है, जिसके संबंध में ग्राम पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया है कि नक्शा जीण–क्षीण है तथा नक्शा बन गया है। इस संबंध में ग्राम पटवारी तथा राजस्व निरीक्षण द्वारा प्रस्तावित नक्शा दिया है जिसके आधार पर लाल स्याही किये जाने का उल्लेख है। उक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और जब नक्शा जीण–क्षीण स्थिति में है, तब नया प्रस्तावित नक्शें के अनुसार लाल स्याही किया जाना चाहिए। पंजीकृत विक्रयपत्र की वैधतता के संबंध में जॉच एवं कार्यवाही करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। उपरोक्त स्थिति में जो कार्यवाही एवं आदेश नायब तहसीलदार, मूंगावली द्वारा वर्तमान प्रकरण में पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मूंगावली, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 227/अ–68/2011–12 में की जा रही समस्त कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 26.08.15 अधिकारितारहित होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व तरमीम के अनुसार लाल स्याही से मौके पर तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य